गर्व से कहो हम सनातनी हैं

घर के सामने वाले मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर से ग्वाल-बाल सँग गैयाँ डोलें, जय गोपाला सब मुख बोलें गीत जोर-जोर से बज रहा था और पोती अपने नए फोन पर वीडियो देख रही थी। खूंटे पर बंधी मंगला ने अपनी पूंछ से एक मक्खी उड़ाई और गर्दन हिलाकर उस आसमान को देखा जो अब नीले से धुंधला सलेटी हो चुका था। चौदह साल पहले जब वह इस घर में आई थी तब बूढ़ी मां ने अपने कांपते हाथों से उसके माथे पर रोली का टीका लगाया था और उसे साक्षात लक्ष्मी का अवतार घोषित किया था।

आज उसी लक्ष्मी की पीठ पर उम्र का कूबड़ निकल आया था और दूध की आखिरी बूंद तीन साल पहले ही सूख चुकी थी। ठीक वैसे ही जैसे इस घर की बूढ़ी मां की आंखों का पानी और ममता की मलाई सालों पहले सूख चुकी थी। घर के आंगन में सन्नाटा था पर वह सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि उस सड़े हुए दफ्तर के कागज की तरह था जिस पर किसी की मौत का फरमान लिखा हो। मंगला निश्चिंत थी क्योंकि उसने सुना था कि इस देश में कुछ जीवों को काटने की सख्त मनाही है और वह तो कोई जंगली सांड या मिथुन भी नहीं थी जिसके वध पर कानून खामोश रह जाए। वह तो सीधी सादी गय्या थी जिसने इस घर के तीन बच्चों को अपनी छाती निचोड़कर पालकर बड़ा किया था।

दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी जिसकी कर्कश आवाज सुनकर मंगला के कान खड़े हो गए। गाड़ी से उतरा आदमी खादी का कुर्ता पहने था और उसकी जेब में नोटों की गड्डी इस तरह झांक रही थी जैसे किसी अपराधी की जेब से पिस्तौल। घर के बड़े बेटे ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी नजरें झुका लीं पर उसकी उंगलियां नोटों को गिनने के लिए मचल रही थीं। बगल के अंधेरे कमरे में खाट पर पड़ी बूढ़ी मां अपनी थरथराती हुई लाठी टेकते हुए बाहर आई और बेटे का हाथ पकड़ लिया।

सब पक्का है न बाबू बेटे ने फुसफुसाकर पूछा।

कागज तैयार है ऊपर से आदेश है व्यापारी ने तंबाकू थूकते हुए कहा।

यह क्या अधर्म कर रहे हो रे लाल÷ मां ने अपनी सूखी छाती पीटते हुए बेटे का कुर्ता खींचा।

तो अब इसके बुढ़ापे का ठेका हम ही थामें÷ बेटे की आवाज में कलयुग का कड़कपन था।

इसने हमें पाला है बेटा और तुम्हारी इस बूढ़ी मां को भी अब खाट पर पड़े रहने की आदत हो गई है तो क्या मुझे भी कल इसी गाड़ी में लाद दोगे मां की आंख से बहता पानी उसके गालों की झुर्रियों में रास्ता ढूंढ रहा था।

मंगला ने अपनी बड़ी-बड़ी काली आंखों से इस बातचीत को समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद उसे किसी नई चरागाह में ले जाया जा रहा है जहां हरी घास होगी और सूखा भूसा चबाने से मुक्ति मिलेगी। वह तो इस मुगालते में जी रही थी कि जिस चौखट पर उसने अपनी पूरी जवानी निचोड़ कर दे दी वहां बुढ़ापे में कम से कम दो मुट्ठी सूखी घास और थोड़ा सा दुलार तो नसीब होगा ही। मां दौड़कर मंगला के गले से लिपट गई और दोनों बूढ़ी आंखें एक दूसरे के दुख को बिना शब्दों के बांटने लगीं।

मां के हाथ मंगला की पीठ पर ऐसे फिर रहे थे जैसे अपनी सगी बेटी को विदा कर रही हो पर इस विदाई में डोली नहीं मौत का पिंजरा था। बेटे ने क्रूरता से मां को पीछे धकेला तो वह आंगन के कीचड़ में जा गिरी पर उसकी चीख आसमान को चीर न सकी। उसे क्या पता था कि इस देश की आधुनिकता अब बूढ़ी हड्डियों का सूप पीने के लिए लालायित हो चुकी है और मां हो या गाय दोनों की उपयोगिता खत्म होते ही वे सिर्फ एक बोझ बन जाती हैं। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से लोहे की जंजीरों की खनखनाहट गूंज उठी। मंगला को जब खींचकर आगे बढ़ाया गया तो उसके खुरों ने जमीन को कसकर पकड़ लिया मानो वह अपनी मिट्टी और अपनी उस बिलखती हुई मां से आखिरी बार लिपट जाना चाहती हो।

बछड़े की याद में और मां की सिसकी सुनकर उसके थनों से दूध की जगह एक अजीब सी मवाद जैसी लाचारी रिसने लगी थी। उसे रह-रहकर अपने उस नन्हे बछड़े की याद आ रही थी जिसे पिछले साल ही इसी बेटे ने कड़वी धूप में बांधकर भूखा मार डाला था ताकि सारा दूध खुद पी सके। मंगला ने हवा में नासिकाएं फुलाईं मानो वह अपने उस बिछड़े हुए बच्चे की गंध को हवा के झोंकों में ढूंढ रही हो जो अब धूल बन चुका था। बेटा लाठी लेकर उसके पीछे खड़ा था वही बेटा जो कभी मंगला के दूध की मलाई खाकर पहलवानी का दम भरता था।

चलो भी अब नखरे मत दिखाओ बेटे ने लाठी उसकी रीढ़ पर दे मारी।

राम राम थोड़ा तो रहम करो मां की सिसकी आंगन में बिखर गई।

रहम से पेट नहीं भरता माई बेटे ने क्रूरता से हंसते हुए कहा।

तुझे तेरा ही दूध काटेगा रे मां ने जमीन पर सिर पटकते हुए आखिरी शाप दिया। ट्रक के उस दमघोंटू अंधेरे में, जहां तड़पते मूक प्राणियों की सड़ी हुई सांसें और मौत का खौफ तैर रहा था, मंगला का दम घुटने लगा। बाहर सड़क किनारे सनातन धर्म के आलीशान होर्डिंग्स पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था- 'गाय हमारी माता है, सनातन यही सिखाता है', गौ, माता और भू-माता, सनातन का है इनसे नाता और लाउडस्पीकर वेदों की ऋचाएं उगल रहे थे कि गाय 'अघ्न्या' है, इसके भीतर तैंतीस कोटि देवता बसते हैं।

इस पावन व्यवस्था के बीच, बंद ट्रक की झिरी से गोवंश संरक्षण के करोड़ों वाले सरकारी बजट के स्लोगन साफ दिख रहे थे। गाड़ी किसी कत्लखाने नहीं, बल्कि चमचमाती 'प्रगतिशील मांस प्रसंस्करण इकाई' के सामने रुकी, जहां सफेद कोट पहने पढ़े-लिखे लोग तैनात थे। वहां दीवारों पर वेदों के उद्धरणों के ठीक बगल में स्वच्छता के बड़े-बड़े नियम लिखे थे।

तभी एक सरकारी डॉक्टर ने जेब से कलम निकाली और पवित्र गोमाता के उसी मस्तक पर, जहां कभी तिलक सजता था, 'अनुपयोगी और वध के योग्य' की अमिट सरकारी सील दाग दी, ताकि सनातन धर्म का कागजी नियम भी न टूटे और मांस का करोड़ों का व्यापार भी बिना किसी बाधा के मजे से चलता रहे। भीतर एक बड़ा सा हॉल था जहां कतार में खड़ी गायें अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। वहां कोई चीख-पुकार नहीं थी बल्कि एक यांत्रिक खामोशी थी जो किसी भी श्मशान से ज्यादा डरावनी थी। मंगला को लगा कि शायद यहां कोई बड़ा उत्सव चल रहा है क्योंकि बिजली के लट्टू बड़ी तेजी से टिमटिमा रहे थे।

तभी सामने वाले बड़े लोहे के कटर के पास से एक परछाई उभरी जो हाथ में चमचमाती हुई आरी लिए हुए थी। मंगला ने अपनी गर्दन घुमाई और उस कसाई की आंखों में देखा। कसाई ने अपनी टोपी उतारी और उसकी आंखों से टप-टप आंसू गिरने लगे। वह कसाई कोई और नहीं बल्कि होरी का वही परपोता था जो बरसों पहले गांव छोड़कर शहर कमाने आया था और आज अपनी ही उस गाय को काटने के लिए सरकारी नौकरी पर तैनात था जिसे उसके परदादा ने अपनी आखिरी सांस देकर भी नहीं पा सका था। दोनों की आंखें मिलीं और मशीन का स्विच ऑन हो गया। उधर गांव के आंगन में बूढ़ी मां का साया हमेशा के लिए शांत हो चुका था।

देपालपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

अवैध शराब कारोबार पर कसा शिकंजा

देपालपुर (संदीप सेन)। क्षेत्र में अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर इंदौर शिवम वर्मा के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में 28 मई 2026 को देपालपुर वृत्त में व्यापक अभियान चलाया गया।

कार्रवाई कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें वृत्त उप निरीक्षक भगवानदास अहरवार सहित टीम ने कई गांवों में दबिश देकर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। आबकारी विभाग की टीम ने देपालपुर क्षेत्र के ग्राम करकी, छोटी कलमेर, रुणावदा, चांदेर, खड़ी, हरनासा, बेटमा सहित आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संग्रहित और निर्मित शराब बड़ी मात्रा में बरामद की गई। विभाग ने करीब 38.7 बल्क लीटर देसी मदिरा, 60 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब, 24 बल्क लीटर विदेशी मदिरा तथा लगभग 200 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया। कार्रवाई के दौरान प्रेम सिंह पिता रतन सिंह, राकेश पिता बलिराम, रतनलाल पिता गेंदालाल, विजय पिता गिरधारी, राजा पिता कैलाश, अखिलेश पिता बलराम, कमल पिता भगवान सिंह, राम पिता शरदलाल, कमल पिता हिन्दूसिंह एवं सुरेश पिता शकर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। जब्त सामग्री का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 53 हजार 885 रुपए बताया गया है। विशेष बात यह रही कि कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रही, बल्कि टीम ने गांव-गांव पहुंचकर अवैध शराब निर्माण स्थलों को चिन्हित किया और मौके पर कार्रवाई करते हुए कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया। विभाग की इस मुहिम से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार करने वालों को स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासन अब पूरी सख्ती के साथ मैदान में उतर चुका है। देपालपुर वृत्त में लगातार हो रही कार्रवाइयों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि वृत्त उप निरीक्षक भगवानदास अहरवार के नेतृत्व में टीम सक्रियता और गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को स्थानीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की निरंतर कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इस पूरी कार्रवाई में आरक्षक राशि सोलट, रवींद्र कुमार बघेल, सावन सिसोदिया तथा वाहन चालक मनोज सोलंकी का विशेष योगदान रहा। टीम ने जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा तथा ऐसे कारोबार में लिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सम्मान और भावुक माहौल के बीच राजेंद्र खरे को दी विदाई

देपालपुर। जनपद पंचायत देपालपुर सभागार में खंड पंचायत अधिकारी राजेंद्र खरे की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव, कार्यशैली और सहज व्यवहार की सराहना करते हुए भावपूर्ण विदाई दी।

समारोह में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुमानसिंह पंवार, जनपद उपाध्यक्ष मोहनलाल ननवाना और जनपद पंचायत सीईओ पूजा मालाकार, जितेन्द्र शर्मा, राजेन्द्र गांगले, अजय जायसवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने कहा कि राजेंद्र खरे ने अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कार्यनिष्ठा और व्यवहार हमेशा याद रखा जाएगा।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत सदस्य, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, सहायक यंत्री, सेक्टर अधिकारी, उपयंत्री, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मनरेगा स्टाफ, एनआरएलएम स्टाफ सहित जनपद पंचायत का समस्त अमला उपस्थित रहा। सभी ने पुष्पमाला एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना की।

इस अवसर पर देपालपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष संदीप सेन, अजय जैन, अनिल बाजपेयी और रमेशचंद्र सोलंकी ने भी शाल-श्रीफल भेंट कर राजेंद्र खरे का सम्मान किया।

समारोह के दौरान कई कर्मचारी भावुक नजर आए और सभी ने उनके साथ जुड़े अनुभव साझा किए।

संस्था गीताश्रीधर के सचिव काबरा एमडीआरटी 2026 से सम्मानित

एलआईसी के शतकवीर अभिकर्ता का भी मिला सम्मान

उज्जैन। संस्था गीताश्रीधर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवा संस्थान उज्जैन रजि. के सचिव एवं एलआईसी के तेजतर्रार अभिकर्ता रूपेश काबरा को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा होटल अंजूश्री, इंदौर रोड़ उज्जैन पर आयोजित सम्मान समारोह में एमडीआरटी 2026 एवं शतकवीर अभिकर्ता सम्मान से सम्मानित किया गया।

सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश जैन के अनुसार भाजीबीनि के वरिष्ठ अधिकारीगण ने अत्यन्त कम आयु में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु उत्कृष्टता प्रमाण पत्र एवं शतकवीर अभिकर्ता सम्मान पत्र भेंट कर तथा अंगवस्त्र पहनाकर काबरा का इंदौर मंडल द्वारा प्राईफ ऑफ द डिवीजन के अवार्ड से अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि रूपेश काबरा संस्था गीताश्रीधर के माध्यम से वंचित तबके के कल्याण सहित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, जनहितैषी कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे है। काबरा की उपलब्धि पर आजीवन सीएम क्लब मेम्बर प्रकाश चित्तौड़ा, अभिषेक नागर, हर्ष जायसवाल, वरूण पण्ड्या, गंगाराम सोलंकी, अजय मालवीय, प्रकाश मालवीय, कृष्णा मालवीय, विकास खंडेलवाल, लाखन गुर्जर आदि ने हर्ष व्यक्त कर बधाई दी है।

महू में पहली बार बालिकाओं और महिलाओं के लिए केरलम की प्राचीन युद्ध कला कलरिपयट्टू आत्मरक्षा शिविर का भव्य शुभारंभ

महू/इंदौर समाचार (संदीप शर्मा)नारी शक्ति को आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वाभिमानी बनाने के संकल्प के साथ महू के चम्पा वाला बगीचा में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए केरलम की अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली युद्ध कला %कलरिपयट्टू% के तीन दिवसीय विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। महू के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक प्रशिक्षण शिविर के पहले ही दिन बड़ी संख्या में प्रतिभागी युवतियां और उनके अभिभावक पूरे उत्साह के साथ उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पाथ इंडिया के डायरेक्टर श्री नितिन अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर पाथ इंडिया के डायरेक्टर मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा की आयोजकों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि, ÷वर्तमान समय में महिलाओं और बेटियों के लिए आत्मरक्षा के गुर सीखना बेहद अनिवार्य हो गया है। केरल की यह प्राचीन मार्शल आर्ट विधा न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक एकाग्रता, अनुशासन और आंतरिक आत्मविश्वास को भी जागृत करती है। शिविर में प्रशिक्षण देने के लिए केरलम से विशेष रूप से पधारे अगस्त्यम फाउंडेशन के संस्थापक और विश्वप्रसिद्ध प्रशिक्षक (गुरुक्कल) डॉ. एस. महेश द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा की बारीकियां, शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती और प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट की संपूर्ण शिक्षा के प्राथमिक गुर सिखाए जा रहे हैं। इस गरिमामयी शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक संस्था उद्घोष और संस्था धर्म महू के विक्रम दुबे, प्रदीप दुबे, जितेंद्र शर्मा, राकेश अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, विजय सोडाणी, महेश अग्रवाल सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने प्रशिक्षक डॉ. एस. महेश का आत्मीय स्वागत व सम्मान किया।

सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा-आयोजक एडवोकेट विक्रम दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन दिवसीय यह शिविर दिनांक 29, 30 और 31 मई को प्रतिदिन सुबह 7=00 से 9=00 बजे तक चम्पा वाला बगीचा, महू में आयोजित किया जा रहा है। सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने वाली सभी प्रतिभागी बालिकाओं व महिलाओं को संस्था द्वारा आधिकारिक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा।

कार्टून कोना...

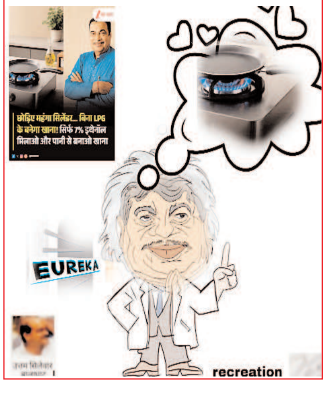

देवास में नहीं होने दिया जाएगा जल संकट- मंत्री श्री सिलावट

देवास,पवनयादव/जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि सरकार के लिए प्रदेश की जनता की चिंता सर्वोपरि है। सरकार किसी भी परिस्थिति में देवास में पानी का संकट पैदा नहीं होने देगी। नागरिकों को सुचारू जल आपूर्ति सुनिश्चित करना शासन की मुख्य प्राथमिकता है।

मंत्री श्री सिलावट ने जल प्रदाय की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वर्तमान में एनवीडीए से केवल मांगलिया के लिए जितना पानी लिया जा रहा है। उससे कम पानी इंटेकवेल बनाकर वहां से पाइपलाइन के माध्यम से मांगलिया तक पहुँचाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री ने भ्रांतियों को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि देवास के तालाबों और बांधों (डैम) का उपयोग केवल पानी के भंडारण के लिए किया जा रहा है। नगर निगम देवास के अंतर्गत आने वाले पानी का उपयोग इस योजना के लिए बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। अतः देवास शहर की स्थानीय जल वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है और इस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पानी देवास से लिया जा रहा है उससे ज्यादा पानी एनवीडीए से देवास में दिया जाएगा।

SMFG India Credit — Pragati Ki Nayi Pehchaan

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

कार्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल आफिस क्र. 101, 102 व 103, 2 नार्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स बांद्रा (ई), मुंबई - 400051

डिमांड नोटिस

अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम")

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के द्वारा अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 13 (12) सहपठित नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए निम्न ऋणीगण को अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी कर संबंधित नोटिसों में वर्णित बकाया राशि की नोटिस प्राप्त होने से 60 दिवस की अवधि में भुगतान किये जाने की मांग की थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस बात का यकीन हो गया है कि ऋणीगण इन डिमांड नोटिसों की तामिली नहीं होने दे रहे हैं। अतः इन नोटिसों की तामिली नियमों के तहत चस्पा एवं प्रकाशन के द्वारा कराई जा रही है। डिमांड नोटिस में प्रदत्त विवरण का सार निम्नानुसार हैः-

ऋणीगण का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि
1. विषम्पमा कलेक्शन 2. पूजा सुरेश 3. कुंदन मंडलोई LAN- 213120911048275	14 मई 2026 रुपये 2,622,061.00/- (छब्बीस लाख बाइस हजार एकसठ सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती पूजा मंडलोई एच/ओ कुंदन मंडलोई, ग्राम आसूखेड़ी, प.ह.नं. 62/124, आबादी सर्वे क्रं. 205 स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं व्यवसायिक दुकान, 34X55, 1870 वर्गफीट, अर्थात 173.72 वर्गमीटर, 100 वर्गफीट की दुकान एवं शेष 1770 वर्गफीट का निर्मित भवन, पंचायत रजिस्टर क्रमांक 52/2021, भवन क्रमांक 36, वार्ड क्रं. 4 आसूखेड़ी तहसील पीथमपुर जिला धार मध्यप्रदेश, पूर्व : रामचंद्र वर्मा का भवन, पश्चिम : सार्वजनिक सड़क, उत्तर : श्री रामजी की भूमि, दक्षिण : शांतिलाल मंडलोई का मकान।	
1.श्री सांई प्रोविजन 2. वीरेन्द्र वर्मा 3. ममता वीरेन्द्र LAN- 213120911742428	14 मई 2026 रुपये 2,970,705.00/- (उन्तीस लाख सत्तर हजार सात सौ पांच सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति के स्वामी : वीरेन्द्र वर्मा ग्राम महूगांव, तहसील महू, जिला इंदौर मध्यप्रदेश स्थित डायमंड कॉलोनी के भूखंड क्रं. 3 पूर्वी भाग 750 वर्गफीट अर्थात 69.70 वर्गमीटर पर निर्मित व स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्व : भूखंड क्रं. 2, पश्चिम : इस भूखंड का शेष भाग (पश्चिमी भाग), उत्तर : महू-नीमच मेनरोड, दक्षिण : भूखंड क्रमांक 33	
1. शैफाली जनरल स्टोर्स 2. शैफाली पाराशर, 3. सपना पाराशर LAN- 213121310895056	14 मई 2026 रुपये 4,805,534.00/- (अड़तालीस लाख पांच हजार पांच सौ चौतीस सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति के स्वामी : शैलेष पाराशर एवं सपना पाराशर। भवन क्रमांक 9 सुदामा नगर इन्दौर मध्यप्रदेश स्थित दुकान क्रं. एस-2 पर स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 144 वर्गफुट, पूर्व : सड़क, पश्चिम : भूमि का शेष भाग, उत्तर : सर्विस रोड, दक्षिण : दुकान क्रमांक एस-1	
1. सूरज गृह उद्योग 2. राजेश खोरे, 3. ममता खोरे LAN- 216121310945420	14 मई 2026 रुपये 4,207,461.00/- (बयालीस लाख सात हजार चार सौ इकसठ सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति के स्वामी : राजेश खोरे, सांदीपनि नगर स्थित भूखंड/भवन क्रं. 91, एलआईजी फर्स्ट स्थित व उसपर निर्मित सम्पूर्ण सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर, पूर्व : एलआईजी फर्स्ट भूखंड क्रं. 92, पश्चिम : एलआईजी फर्स्ट भूखंड क्रं. 90, उत्तर : ईडब्ल्यूएस भूखंड, दक्षिण : 09 मीटर रोड	
1. समीक्षा साड़ी 2. विनोद गिरधर 3. पूजा चौहान LAN- 173701311205020 एवं 173701311535456	14 मई 2026 रुपये 8948151/-(उननब्बे लाख अड़तालीस हजार एक सौ इक्यावन सिर्फ) दिनांक 06-05-2026 तक
बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति की स्वामी : पूजा चौहान, भवन क्रमांक 956, सर्वे नंबर 570/1 पैकी, वार्ड क्रमांक 11, पुराना वार्ड क्रमांक 10, बेटमा रोड, देपालपुर म्युनिसिपल, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर स्थित व उस पर निर्मित सम्पूर्ण सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 720 वर्गफीट जो कि 60X12 है। पूर्व : रंजीतसिंह का मकान, पश्चिम : छगनलाल का मकान, उत्तर : कांताबाई पति छगनलाल का मकान, दक्षिण : तहसील रोड।	

ऋणीगण को सलाह दी जाती है कि वे डिमांड नोटिस का अनुपालन करते हुए डिमांड नोटिस में वर्णित बकाया मांग की गई राशि का इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिवस की अवधि में बकाया राशि में भुगतान तिथि तक प्रचलित दर पर ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अनादरण शुल्क, व्यय एवं अन्य खर्चों को जोड़कर कुल बकाया राशि का भुगतान कर दें। ऋणीगण ध्यान दें कि **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** प्रतिभूति लेनदार है व ऋणीगण द्वारा ली गई ऋण सुविधा प्रतिभूत ऋण व ऋणीगण द्वारा बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियाँ प्रतिभूत आस्ति हैं।

ऋणीगण द्वारा निर्धारित अवधि में संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के दायित्व में विफल हो जाने पर **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** के पास अधिनियम की धारा 13(4) में उपलब्ध समस्त उपचारों-अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार रहेगा तथा प्रतिभूत आस्ति का आधिपत्य प्राप्त करने जो कि अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत नियमों में प्रावधानों के तहत किसी भी अन्य उपायों व बकाया राशि की वसूली हेतु उसका विक्रय करने तक ही सीमित नहीं रहेगा। **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** के पास प्रतिभूत आस्ति को विक्रय या अंतरित करने से पूर्व **कुर्की एवं/अथवा सील** करने का भी अधिकार है। प्रतिभूत आस्ति को विक्रय करने के पश्चात अगर बंधक सम्पत्ति से बकाया राशि की पूर्ति नहीं होती है तो **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** के पास बकाया का राशि की वसूली हेतु पृथक न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार भी प्राप्त है। **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** के पास उपलब्ध यह उपचार किसी भी अन्य विधान में उपलब्ध उपचार से अतिरिक्त व स्वतंत्र है। ऋणीगण का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) में प्रतिभूत आस्ति को बकाया राशि का भुगतान कर वापस प्राप्त करने हेतु उपलब्ध समय अवधि की तरफ भी आकर्षित किया जाता है। अधिनियम की धारा 13(13) के तहत ऋणीगण को प्रतिभूत आस्ति का विक्रय करने या किसी भी तरह के संव्यवहार से विक्रय, लीज या अन्य किसी तरीके से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया से अलग) **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट** की बगैर अनुमति के अंतरित करने से प्रतिबंधित/प्रतिषिद्ध किया जाता है। इसका अनुपालन नहीं करने का कोई भी कृत्य अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराध होगा। डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, ऋणीगण चाहें तो इस प्रति को अधोहस्ताक्षरकर्ता से सामान्य कार्य दिवस में कार्यालयों में समय के दौरान प्राप्त कर सकते है।

स्थान : इन्दौर/उज्जैन
तिथि : 30-05-2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड